पंजीकृत निर्माण श्रमिकों, (जिनमें भवन या किसी भी प्रकार के निर्माण में लगे श्रमिक शामिल हैं) के लिये संचालित कल्याणकारी योजनाएं

01.मातृत्व हितलाभ योजना

पंजीकृत महिला निर्माण-श्रमिकों को प्रसव के उपरान्त रु0 तीन हजार की धनराशि की सहायता।

02. शिशु हितलाभ योजना

पंजीकृत निर्माण-श्रमिकों के नवजात शिशुओं को प्रथम 02 वर्ष के लिये **रु0 तीन हजार से चार हजार** की धनराशि पुष्टाहार हेतु सहायता।

03. बालिका आशीर्वाद योजना

पंजीकृत निर्माण-श्रमिकों की बालिकाओं के जन्म पर रु0 बीस हजार की धनराशि की सावधि 18 वर्ष के लिये जमा।

04. पुत्री विवाह अनुदान योजना

पंजीकृत निर्माण श्रमिकों की विवाह योग्य पुत्रियों 18 वर्ष से अधिक अविवाहित एवं विवाह योग्य पुत्रियों के विवाह संस्कार हेतु रुपया बीस हजार की आर्थिक सहायता।

05. दुर्घटना सहायता योजना

पंजीकृत श्रमिकों की किसी भी प्रकार की दुर्घटना के फलस्वरुप आई आंशिक/पूर्ण अपंगता तथा मृत्यु के उपरान्त रु0 चालीस हजार से एक लाख की एक मुश्त अनुग्रह राशि की सहायता।

06. मृतक अंत्येष्टि सहायता योजना

पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु होने पर उसके अन्तिम संस्कार एवं उसके आश्रितों को तात्कालिक सहायता के रुप में क्रमशः रु0 आठ हजार एवं तीस हजार की सहायता।

07. कामगार गम्भीर बीमारी सहायता योजना

पंजीकृत श्रमिक, उसकी पत्नी तथा 21 वर्ष तक आयु तक के पुत्र/अविवाहित पुत्रियों की गम्भीर बीमारी जैसे हृदय या मस्तिष्क की शल्यक्रिया, लीवर/गुर्दा का प्रत्यारोपण, पैरों का घुटना बदलना, रीढ़ की हड्डी की शल्यक्रिया, कैंसर/एच0आई0वी0/एड्स के उपचार में कराये गये इलाज की शत-प्रतिशत प्रतिपूर्ति।

08. एम्बुलेन्स सहायता योजना

पंजीकृत निर्माण श्रमिक अथवा परिवार के सदस्यों की दुर्घटना/बीमारी की स्थिति में दुर्घटना स्थल/निवास से स्थानीय स्तर पर स्थित चिकित्सालय तक जाने के लिये एम्बुलेन्स पर आये खर्च का रु0 छः सौ की सीमा तक प्रतिपूर्ति।

09. मेधावी छात्र पुरस्कार योजना

पंजीकृत श्रमिकों के पुत्र/पुत्रियों को शिक्षित किये जाने और निरन्तरता बनाये रखने के लिये कक्षा-5 से उच्च शिक्षा (स्नातक, परास्नातक, इंजीनियरिंग एवं चिकित्सा की डिग्री) प्राप्त करने तक रु0 चार हजार से बीस हजार की सहायता।

10. कौशल विकास तकनीकि उन्नयन एवं प्रमाणन योजना

शासकीय या प्राइवेट औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों/पालीटेक्निक संस्थानों पंजीकृत जो तकनीकी उन्नयन/प्रमाणीकरण से संबंधित हैं, में संस्थाओं से पंजीकृत श्रमिकों उनकी पत्नी तथा 21 वर्ष से कम आयु में व्यय की न्यूनतम सीमा की प्रतिपूर्ति।

नोटः- सभी योजनाओं के बारे विस्तृत जानकारी स्थानीय श्रम कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।